

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक: प.14 (2079) बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा. /2022/3011

दिनांक:- 30/11/2022

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

सयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति क्रमांक: 8(28)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव /बाढ़ /2022/12372-80 दिनांक 19.10.2022 द्वारा सार्वजनिक विभाग खण्ड नाथद्वारा की तहसील नाथद्वारा के 17 कार्य हेतु राशि रु. 36.19 लाख रूपयों में से 15 कार्य हेतु राशि रु. 32.29 लाख की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़को की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती हैं।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था /विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों /निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें।
कार्यकारी विभाग - अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नाथद्वारा
(तहसील नाथद्वारा)

क्र. स.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(SDRF) मापदण्डों अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या	तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	एन.एच. 8 से गुंजोल	0.60	EE/TS/20/2022-23 Dt.21.10.2022	0.60
2	अप्रोच रोड़ उठारड़ा	1.50	EE/TS/21/2022-23 Dt.21.10.2022	1.50
3	नमाना नेनपुरिया से नाकली बिजनोल रोड़	3.00	EE/TS/22/2022-23 Dt.21.10.2022	3.00
4	करजिया घाटी से नान्दोडा धायला	1.80	EE/TS/23/2022-23 Dt.21.10.2022	1.80
5	उठारड़ा से मण्डियाना	2.40	EE/TS/24/2022-23 Dt.21.10.2022	2.40

6	अप्रोच रोड बांकों का गुडा से फुलपुरा चौराह	0.60	EE/TS/25/2022-23 Dt.21.10.2022	0.60
7	धायला से उठडों की भागल	1.20	EE/TS/26/2022-23 Dt.21.10.2022	1.20
8	नमाना से नैनपुरिया	3.00	EE/TS/27/2022-23 Dt.21.10.2022	3.00
9	बिजनोल से डांग	2.96	EE/TS/28/2022-23 Dt.21.10.2022	2.96
10	कुंठवा से उच्छारड़ा	4.32	EE/TS/29/2022-23 Dt.21.10.2022	4.32
11	अप्रोच रोड खोका ढाणी	1.44	EE/TS/30/2022-23 Dt.21.10.2022	1.44
12	अप्रोच रोड खीमाखेडा	1.26	EE/TS/31/2022-23 Dt.21.10.2022	1.26
13	अप्रोच रोड दुधपुरा	1.50	EE/TS/32/2022-23 Dt.21.10.2022	1.50
14	उलपुरा से खेड़ा वाया वामनहेड़ा	1.80	EE/TS/33/2022-23 Dt.21.10.2022	1.80
15	एन.एच. 8 किमी 225 से शगुन होटल वाया गणेश टेकरी	4.93	EE/TS/34/2022-23 Dt.21.10.2022	4.93
	Total	32.29		32.29

अक्षरे रु. बत्तीस लाख उन्नतीस हजार मात्र

शर्तें :

- स्वीकृत राशि केवल इस वर्ष बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों पर ही व्यय की जावें। जिन्हे नये एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 नोर्म्स के अनुसार तात्कालिक मरम्मत योग्य एवं इमिडियेट रेस्टोरेशन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सके।
- इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कि तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों की ही मरम्मत करवाई गई है।
- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावें। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन की निर्देशो के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कार्य एवं व्यय सरकारी रिति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
- वे सड़के जो **Defect Liability Period** के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नःस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावें।

05. कार्यकारी संस्था उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारशिता , सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, वे सार्वजनिक निर्माण वितीय एवं लेखा नियमों, एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे हैं एवं द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों की अविलम्ब निविदाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमैणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात् अनिवार्यतः भिजवाने जावें। बिल में विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।
07. क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है, तो उक्त सड़कों की मरम्मत एस.डी.आर. एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावें।
08. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
09. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न बजट मद से किया जायेगा—
2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02— बाढ़, चक्रवात आदि।
106—खराब सड़को तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।
(08)—(बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़को तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
(01)— (सड़को की मरम्मत एवं पुनःस्थापना)
21—अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध


 जिला कलक्टर
 (आ0प्र0 सहा. एवं ना.सु विभाग)
 राजसमन्द

क्रमांक: प.14 (2079)बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा. /2022/3011

दिनांक:- 30-11-2022

प्रतिलिपी:- सूचार्थ एवं पालनार्थ:-

01. मुख्य लेखाधिकारी , आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग , राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें।
02. अधीक्षण अभियन्ता ,सार्वजनिक निर्माण विभाग , खण्ड राजसमन्द।
03. अधिशाषी अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग , खण्ड नाथद्वारा ।
04. उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा
05. तहसीलदार नाथद्वारा
06. विकास अधिकारी , पंचायत समिति , खमनोर ।
- 07.जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी , राजसमन्द।


 जिला कलक्टर
 (आ0प्र0 सहा. एवं ना.सु विभाग)
 राजसमन्द